बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

सं0–03/आ01–35/2023......................./श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय स्थापना शाखा के कार्यालय भवन उपस्कर मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये मात्र की निकासी बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के संज्ञान/अनुमोदन के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए निकासी करने, निकासी की गयी राशि का स्वेच्छाचारिता बरतते हुए आनन–फानन में बिना विहित प्रक्रिया का पालन किये अपव्यय करने एवं संबंधित संचिका जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या–361419 दिनांक 11.02.2026 द्वारा **"संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध"** की शास्ति अधिरोपित की गयी है। श्री चौरसिया द्वारा दण्ड के संबंध में अपील किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 (2) के प्रावधानों के तहत सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकती है। श्री चौरसिया के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी तो दायर नहीं किया गया है, परंतु उनके अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया।

3. श्री रोहित कुमार चौरसिया के आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को यह परिलक्षित हुआ है कि इन्होंने अपने आवेदन में उन्हीं बातों का दोहराव किया है, जो इनके द्वारा जांच/संचालन के दौरान कहीं गई है और जिसपर भली–भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर भी विधिवत् समीक्षा कर इन्हें वृहत्त शास्ति विनिश्चित की गई, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी अपनी सहमति संसूचित की है।

4. अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया है कि श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध विषयवर्णित अधिरोपित/संसूचित शास्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार आलोच्य पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–35/2023 I/370314/ पटना, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0 कोषांग) वित्त विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री रोहित कुमार चौरसिया, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 24-02-2026 14:23:58

F:\Manish